निर्माण और आवास तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 1978–79 के दौरान बनाएं गए और 1979–80 के दौरान बन रहे रिहायशी एककों की संख्या क्रमश: 10,893 और लगभग 18,300 हैं जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

टाइप	1978–79 के दौरान बनाए गए एकक	निर्माणाधीन एकक
मध्यम आय वर्ग .	2504	4322
निम्न आय वर्ग .	3333	5467
जनता .	1332	5218
सी० एस० पी० .	628	88
आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग .	3096	1180
स्व-वित्त पोषित योजना	—	1324
स्थल एवं सेवाएं .	—	702
योग	10,893	18,301

†[THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Delhi Development Authority has reported that the number of dwelling units constructed during 1978-79 and under construction in 1979-80 is 10,893 and about 18,300 respectively as detailed below:—

Type	Constructed during 1978-79	Under construction
M.I.G. . . .	2504	4322
L.I.G. . . .	3333	5467
Janata . . .	1332	5218
C.S.P. . . .	628	88
E.W.S. . . .	3096	1180
Self financing Scheme	—	1324
Sites & Services .	—	702
Total . . .	10,893	18,301

ग्रामीण विकास के लिए योजना

91. श्री कलराज मिश्र
श्री हरिशंकर भाभड़ा :

क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष के दौरान ग्रामीण विकास के लिए कोई विशेष नई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†[**Scheme for rural development**

91. SHRI KALRAJ MISHRA:
SHRI HARI SHANKAR BHABHRA:

Will the Minister of RURAL RECONSTRUCTION be pleased to state:

†[ ] English translation.

(a) whether it is a fact that a new special scheme for rural development has been prepared during last year; and

(b) if so, what are the details thereof?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में नोट

अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र

वर्ष 1978-79 के दौरान, लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास के विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में 2000 खण्डों में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम नामक एक नयी योजना शुरू की गई थी। देश के गैर-विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में रोजगार के लिए क्षेत्र आयोजना की योजना के अन्तर्गत 300 अन्य खण्ड शुरू किए गए थे।

उद्देश्य तथा लाभभोगियों के लक्षित वर्ग

कार्यक्रम केवल गरीब ग्रामीणों के लाभ के लिए बनाया गया है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र लक्षित वर्गों में लघु तथा सीमान्त किसान, बटाईदार, कृषि श्रमिक, ग्रामीण कारीगर और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग शामिल हैं। इन परिवारों को सरकारी उपदानों तथा बैंक ऋणों द्वारा सहायता व्यक्तिगत लाभभोगी उन्मुख योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाएगा। इस उद्देश्य को लघु किसान विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास से विशेष कार्यक्रम क्षेत्रों में 2000 खण्डों में विकास प्रयासों को तेज करके प्राप्त किया जाना है तथा इसे चालू योजना अवधि के दौरान 300 खण्ड प्रति वर्ष की दर से रोजगार हेतु क्षेत्र आयोजना के अन्तर्गत चुने खण्डों में भी प्राप्ति किया जाएगा ताकि जनता के गरीब से गरीब वर्गों के रहन-सहन के स्तरों में उल्लेखनीय सुधार किया जा सके। कार्यक्रम की विषय-वस्तु मुख्य रूप से यह है—कृषि, जिसमें बागवानी भी शामिल है, का विकास तथा सघनता, पशुपालन तथा डेरी, मुर्गी-पालन, सुअरपालन, मछलीपालन, कोश-कीटपालन, फार्म तथा सामाजिक वानिकी, लघु सिंचाई तथा भूमि विकास, भूमि तथा जल संरक्षण, कृषि पर आधारित एवं वन पर ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना और ग्रामीण कारीगरों के लिए अर्थपूर्ण कार्यक्रम शुरू करना तथा स्वरोजगार की योजनाओं के लिए प्रोत्साहन।

उपदान

छोटे किसानों के लिए 25 प्रतिशत तथा सीमान्त किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की सीमा तक उपदान के रूप में सहायता सुलभ की जाती है जिसकी उच्चतम सीमा लघु किसान विकास एजेंसी तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास में समन्वित ग्राम विकास के अन्तर्गत 3000 रुपए है और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम में समन्वित ग्राम विकास के अन्तर्गत 4000 रुपए हैं। अनुसूचित जनजातियों के मामले में, उपदान 50 प्रतिशत की दर से दिया जाता है जिसकी सीमा 5000 रुपए है।

मार्गदर्शक सिद्धान्त

केन्द्रीय सरकार ने समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के बारे में विस्तृत मार्ग-दर्शक सिद्धान्त जारी किये हैं। इन मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों से मोटे तौर पर समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत

लाभभोगी के लिए कार्यक्रम की विषय-वस्तु और उपदानों की दर का पता चलता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य मार्ग-दर्शन के अनुसार सम्बन्धित राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों द्वारा सम्पूर्ण कार्यक्रम की आयोजना, समन्वय और कार्यान्वयन किया जाता है। केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम सम्बन्धी समग्र मार्ग-दर्शन, केन्द्रीय निधियों का आवंटन, समग्र समन्वय तथा सम्पूर्ण कार्यक्रम का प्रबोधन किया जाता है।

समन्वय

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम का बहतर समन्वय, आयोजना तथा तीव्र गति से कार्यान्वियन करने के लिए राज्य सरकारों /केन्द्रशासित क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि विशेष कार्यक्रम और समन्वित ग्राम विकास को कार्यान्वित कर रहे विभागों को एक ही प्राधिकरण/विभाग के अन्तर्गत रखा जाए। राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की आयोजना और कार्यान्वियन के लिए उन क्षेत्रों में जिला एजेंसियां गठित करें जहां ऐसी एजेंसियां मौजूद नहीं हैं। खण्ड-स्तरीय आयोजना के लिए विस्तृत मार्ग-दर्शक सिद्धान्त भी जारी कर दिए गए हैं।

राज्यस्तरीय समन्वय समिति की भूमिका

इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए प्रभावी समन्वय और नेतृत्व सुलभ करने में हेतु प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित क्षेत्र राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है, जिसकी अध्यक्षता आम-तौर पर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादनआयुक्त/विकासयुक्त करते हैं। कृषि, पशु-पालन, सिंचाई, सहकारिता, वन, मत्स्यपालन, वित्त, उद्योग, योजना विभागों के विभागाध्यक्षों तथा ग्रामीण जल-आपूर्ति, ग्राम स्वास्थ्य, समाज कल्याण, प्रौढ़ शिक्षा पोषाहार कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे वरिष्ठ अधिकारियों और सहकारी सोसायटियों तथा वाणिज्यिक बैंकों के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में सहयोजित किया जाता है। बैंकिंग संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय तथा उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि भी राज्य स्तरीय समन्वय समितियों के सदस्य हैं।

वित्तीय सहायता का प्रतिमान

1978-79 के दौरान, लघु किसान विकास एजेंसी तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास क्षेत्रों में प्रत्येक समन्वित ग्राम विकास खण्ड के लिए 5 लाख रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया था तथा इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त दिया गया था। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्षेत्रों में प्रत्येक समन्वित ग्राम विकास खण्ड के लिए केन्द्र द्वारा 4 लाख रुपए की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई थी तथा राज्य सरकार को सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम क्षेत्रों में प्रत्येक समन्वित ग्राम विकास खण्ड हेतु 1 लाख रुपये का अंशदान करना था। 1978-79 के दौरान गैर-विशेष योजना क्षेत्रों में चुने 300 खण्डों के मामले में, इस कार्यक्रम के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि सुलभ की गई थी और आधार स्तरीय सर्वेक्षण की लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् 30,000 रुपए इसी वर्ष सुलभ किये गये थे।

उपलब्धियां

यद्यपि यह कार्यक्रम का पहला वर्ष था, फिर भी, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,110,664 परिवारों का चयन किया

गया और 6,24,288 परिवारों को वास्तविक रूप में सहायता पहुचाई गई थी । इन परिवारों का सहायता पहुचाने के लिए 32.67 करोड़ रुपए की धनराशि उपदान के रूप में उपयोग में लाई गई थी तथा 54.60 करोड़ रुपए की धनराशि बैंक ऋण के माध्यम से जुटाई गई थी।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) Yes, Sir.

(b) Details are given in the enclosed statement.

Statement

Note on the Integrated Rural Development Programme

Areas covered

During 1978-79, a new scheme known as Integrated Rural Development Programme (IRDP) was launched in 2000 blocks in the Special Programme Areas of SFDA, DPAP and CAD. Another 300 blocks were also taken up under the scheme; Area Planning for Employment as a part of IRDP in the non-special programme areas of the country.

Objectives and target group of beneficiaries

The programme is intended exclusively for the benefit of the rural poor. The target groups eligible for assistance under the IRD programme, consists of small and marginal farmers, share croppers, agricultural labourers, rural artisans and persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes. These families will be raised above the poverty line through individual—beneficiary oriented schemes financed by government subsidies and bank loans. This objective is to be achieved by intensifying development efforts in 2000 blocks in the special programme areas like the SFDA, DPAP and CAD and also in blocks selected under area planning for employment at the rate of 300 blocks per year during the current plan period, in order to bring about a marked improvement in the living conditions of the poorer section of the population. The programme contents mainly are development and intensification of agriculture including horticulture, animal husbandry and dairy, poultry, piggery, fisheries, sericulture, farm and social forestry, minor irrigation and land development, soil and water conservation, setting up of agro-based forest based and village and cottage industries and taking up meaningful programme for rural artisans and encouraging of self employment schemes.

Subsidy

Assistance in the form of subsidy is provided to the extent of 25 per cent to small farmers and 33-1|3 per cent to marginal farmers and agricultural labourers subject to a ceiling of Rs. 3000|- under IRD in SFDA and CAD and Rs. 4000/- under IRD in DPAP. In the case of scheduled tribes, subsidy is given at the rate of 50 per cent subject to a limit of Rs. 5000|-.

Guidelines

The Central Government has issued detailed guidelines on IRD programme. These guidelines indicate broadly the programme contents and rate of subsidies for the individual beneficiary under the IRD programme. The planning, coordination and execution of the whole programme is done by the respective States|UTs in accordance with the general guidance issued by the Central Government. The overall programme guidance, allocation of Central funds, overall co-

†[ ] English translation.

ordination and monitoring of the whole programme is done at the Central level.

Coordination

In order to achieve better coordination planning and speedy execution of the IRD programme, the State Governments|Union Territories have been advised to bring the departments implementing the special programme and IRD under one single Authority|Department. The States|UTs have also been requested to set up District Agencies for planning and implementation of the IRD programme in areas where such agencies do not exist. Detailed guidelines for Block-Level Planning have also been issued.

Role of State Level Coordination Committee (SLOC)

A High Power Committee at the State level has been constituted in each State|UT, normally headed by the Chief Secretary|Agricultural Production Commissioner|Development Commissioner, for providing effective coordination and leadership in the implementation of this programme. The Heads of Departments of Agriculture, animal husbandry, irrigation, cooperation, forests, fisheries, finance, industries, planning, senior officers implementing programmes of rural water supply, rural health, family welfare, adult education, nutrition and representatives of Cooperatives and Commercial Banks are coopted as members. The representatives of the banking institutions, the Ministry of Rural Reconstruction and the Ministry of Industry of the Union Government are also members of the SLCCs.

Pattern of financial assistance:—

During 1978-79, the outlay for each IRD block in SFDA and CAD areas was fixed at Rs. 5 lakhs and the programme was fully financed by the Central Government. For each IRD block in DPAP areas, an amount of Rs. 4 lakhs was given by the Centre as grant and the State Government was to contribute Rs. 1 lakh for each IRD block in DPAP areas. In case of 300 blocks selected in non-special programme areas during 1978-79, a sum of Rs. 2 lakhs was provided for the programme and 50 per cent of the cost of the base line survey i.e. Rs. 30,000 was provided during the year.

Achievements

Though this was the first year of the programme, 2,110,664 families were identified under this programme and 6,24,288 families were actually assisted. An amount of Rs. 32.67 crores was utilised by way of subsidy and an amount of Rs. 54.60 crores was mobilised by way of bank credit for assisting these families.]

Opening of schools in Pitampura and Shalimar Bagh, Delhi

92. SHRI NARASINGHA PRASAD NANDA:
SHRI DINESH GOSWAMI:
DR. V. P. DUTT:

Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) the number of schools so far opened in newly developed colonies of DDA such as Pitampura and Shalimar Bagh;

(b) whether the sites have been allotted and school buildings have been constructed; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative what are the reasons for the delay and by when the schooling facilities shall be provided there for the benefit of children of these localities?

THE MINISTER OF EDUCATION, HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKRANAND): (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.